न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारीः— हरभान मीणा आर.ए.एस.

(1) अपील स. 235/2016/75 एलआर एक्ट

1. मक्खनसिंह पुत्र स्व. गोविन्द सिंह पुत्र स्व. सुखासिंह जाति रायसिख, निवासी चक 19 पी बी एन ''बी'', तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
2. जगीन्द्र कौर धर्मपत्नि स्व0 श्री निरजंन सिंह पुत्र स्व0 श्री गोविन्द सिंह जाति रायसिख, निवासी चक 19 पी बी एन ''बी'', तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
3. निर्मल सिंह पुत्र स्व0 श्री निरजंन सिंह पुत्र स्व0 श्री गोविन्द सिंह जाति रायसिख, निवासी चक 19 पी बी एन ''बी'', तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
4. मोहन सिंह स्व0 श्री निरजंन सिंह पुत्र स्व0 श्री गोविन्द सिंह जाति रायसिख, निवासी चक 19 पी बी एन ''बी'', तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
5. रामप्यारी धर्मपत्नि स्व0 श्री टीका सिंह पुत्र स्व0 श्री सुखा सिंह जाति रायसिख, निवासी चक 19 पी बी एन ''बी'', तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
6. काला सिंह पुत्र श्री टीका सिंह पुत्र स्व0 श्री सुखा सिंह जाति रायसिख, निवासी चक 19 पी बी एन ''बी'', तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
7. देशराज पुत्र श्री टीका सिंह पुत्र स्व0 श्री सुखा सिंह जाति रायसिख, निवासी चक 19 पी बी एन ''बी'', तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
8. छिन्दा सिंह पुत्र श्री टीका सिंह पुत्र स्व0 श्री सुखा सिंह जाति रायसिख, निवासी चक 19 पी बी एन ''बी'', तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
9. माया कौर धर्मपत्नि स्व0 श्री कश्मीर सिंह पुत्र स्व0 श्री गोविन्द सिंह जाति रायसिख, निवासी चक 19 पी बी एन ''बी'', तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
10. दलीप सिंह पुत्र स्व0 श्री कश्मीर सिंह पुत्र स्व0 श्री गोविन्द सिंह जाति रायसिख, निवासी चक 19 पी बी एन ''बी'', तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
11. बलविन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री कश्मीर सिंह पुत्र स्व0 श्री गोविन्द सिंह जाति रायसिख, निवासी चक 19 पी बी एन ''बी'', तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
12. जसविन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री कश्मीर सिंह पुत्र स्व0 श्री गोविन्द सिंह जाति रायसिख, निवासी चक 19 पी बी एन ''बी'', तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
13. प्यारा सिंह पुत्र स्व0 श्री गोविन्द सिंह पुत्र स्व0 श्री सुखा सिंह जाति रायसिख, निवासी चक 19 पी बी एन ''बी'', तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
14. भोला सिंह पुत्र स्व0 गुरनाम सिंह पुत्र स्व0 श्री गोविन्द सिंह जाति रायसिख, निवासी चक 19 पी बी एन ''बी'', तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
15. कमलजीत सिंह पुत्र स्व0 गुरनाम सिंह पुत्र स्व0 श्री गोविन्द सिंह जाति रायसिख, निवासी चक 19 पी बी एन ''बी'', तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
16. सोमा कौर पुत्री स्व0 श्री निरंजन सिंह पुत्र स्व0 श्री गोविन्द सिंह जाति रायसिख, निवासी चक 19 पी बी एन ''बी'', तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
17. सुनीता कौर पुत्री स्व0 श्री निरंजन सिंह पुत्र स्व0 श्री गोविन्द जाति रायसिख, निवासी चक 19 पी बी एन ''बी'', तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
18. हरबंश कौर धर्मपत्नि स्व0 श्री सतनाम सिंह पुत्र स्व0 गोविन्द सिंह जाति रायसिख, निवासी चक 19 पी बी एन ''बी'', तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
19. गोरखनाथ सिंह पुत्र स्व0 श्री सतनाम सिंह पुत्र स्व0 गोविन्द सिंह जाति रायसिख, निवासी चक 19 पी बी एन ''बी'', तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।

20. दुर्योधन सिंह पुत्र स्व0 श्री सतनाम सिंह पुत्र स्व0 गोविन्द सिंह जाति रायसिख, निवासी चक 19 पी बी एन ''बी'', तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. प्रीतम सिंह पुत्र स्व0 श्री हरदत सिंह जाति रायसिख निवासी अमर पुरा राठान तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
2. छिन्द्रों बाई पुत्री स्व0 मुकंद सिंह जाति रायसिख निवासी अमर पुरा राठान तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
3. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

—रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :—

श्री लालचंद वर्मा अधिवक्ता अपीलांटस

श्री मदनालाल पारीक अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री राजेशदीप राय एवं श्री विजय कौशिक अधिवक्तागण रेस्पो0 सं. 2

(2) अपील स. 170/2017/75 एलआर एक्ट

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. प्रीतम सिंह पुत्र स्व0 श्री हरदत सिंह जाति रायसिख निवासी अमर पुरा राठान तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
2. छिन्द्रों बाई पुत्री स्व0 मुकंद सिंह जाति रायसिख निवासी अमर पुरा राठान तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
3. मक्खनसिंह पुत्र स्व. गोविन्द सिंह पुत्र स्व. सुखासिंह जाति रायसिख, निवासी चक 19 पी बी एन ''बी'', तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
4. जगीन्द्र कौर धर्मपत्नि स्व0 श्री निरजंन सिंह पुत्र स्व0 श्री गोविन्द सिंह जाति रायसिख, निवासी चक 19 पी बी एन ''बी'', तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
5. निर्मल सिंह पुत्र स्व0 श्री निरजंन सिंह पुत्र स्व0 श्री गोविन्द सिंह जाति रायसिख, निवासी चक 19 पी बी एन ''बी'', तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
6. मोहन सिंह स्व0 श्री निरजंन सिंह पुत्र स्व0 श्री गोविन्द सिंह जाति रायसिख, निवासी चक 19 पी बी एन ''बी'', तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
7. सोमा कौर पुत्री स्व0 श्री निरंजन सिंह पुत्र स्व0 श्री गोविन्द सिंह जाति रायसिख, निवासी चक 19 पी बी एन ''बी'', तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
8. सुनीता कौर पुत्री स्व0 श्री निरंजन सिंह पुत्र स्व0 श्री गोविन्द जाति रायसिख, निवासी चक 19 पी बी एन ''बी'', तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
9. रामप्यारी धर्मपत्नि स्व0 श्री टीका सिंह पुत्र स्व0 श्री सुखा सिंह जाति रायसिख, निवासी चक 19 पी बी एन ''बी'', तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
10. काला सिंह पुत्र श्री टीका सिंह पुत्र स्व0 श्री सुखा सिंह जाति रायसिख, निवासी चक 19 पी बी एन ''बी'', तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
11. देशराज पुत्र श्री टीका सिंह पुत्र स्व0 श्री सुखा सिंह जाति रायसिख, निवासी चक 19 पी बी एन ''बी'', तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12. छिन्दा सिंह पुत्र श्री टीका सिंह पुत्र स्व0 श्री सुखा सिंह जाति रायसिख, निवासी चक 19 पी बी एन ''बी'', तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
13. माया कौर धर्मपत्नि स्व0 श्री कश्मीर सिंह पुत्र स्व0 श्री गोविन्द सिंह जाति रायसिख, निवासी चक 19 पी बी एन ''बी'', तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
14. दलीप सिंह पुत्र स्व0 श्री कश्मीर सिंह पुत्र स्व0 श्री गोविन्द सिंह जाति रायसिख, निवासी चक 19 पी बी एन ''बी'', तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
15. बलविन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री कश्मीर सिंह पुत्र स्व0 श्री गोविन्द सिंह जाति रायसिख, निवासी चक 19 पी बी एन ''बी'', तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
16. जसविन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री कश्मीर सिंह पुत्र स्व0 श्री गोविन्द सिंह जाति रायसिख, निवासी चक 19 पी बी एन ''बी'', तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
17. जग्गो बाई पत्नि गोविन्दसिंह जाति रायसिख निवासी 9 पीबीएन–बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
18. प्यारा सिंह पुत्र स्व0 श्री गोविन्द सिंह पुत्र स्व0 श्री सुखा सिंह जाति रायसिख, निवासी चक 19 पी बी एन ''बी'', तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
19. भोला सिंह पुत्र स्व0 गुरनाम सिंह पुत्र स्व0 श्री गोविन्द सिंह जाति रायसिख, निवासी चक 19 पी बी एन ''बी'', तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।
20. कमलजीत सिंह पुत्र स्व0 गुरनाम सिंह पुत्र स्व0 श्री गोविन्द सिंह जाति रायसिख, निवासी चक 19 पी बी एन ''बी'', तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 27.09.2016 न्यायालय उपखण्डाधिकारी एवं आवंटन अधिकारी पीलीबंगा बअनवानी हरदतसिंह मृतक (प्रीतमसिंह आदि) बनाम स्टेट व अन्य

उपस्थित :–

1. श्री खुशकरण सिंह खोसा, राजकीय अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मदनलाल पारीक अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1
3. श्री राजेशदीप राय एवं श्री विजय कौशिक अधिवक्तागण रेस्पो0 सं. 2
4. श्री लालचंद वर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3, 9, 10, 12 से 15, 18 से 20

निर्णय दिंनाक : 28.08.2018

1. इस प्रकरण के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12.11.1952 को चक 19 पीबीएन–ए के प.न. 13/330 कि.न. 6 ता 10, 13, 14, 17, 18, 23, 24 मे 2.189 है0 व प.न. 12/330 कि.न. 6 ता 24 की 4.681 है0 व प.न. 12/331 कि.न. 1 ता 4, 6 ता 18, 22 ता 24 की 5. 502 है0 व प.न. 13/331 कि.न. 3, 4, 11, 12 की 0.519 है0 कुल 12.236 है0 नहरी मय 0. 367 है0 रास्ता मय 0.288 है0 खाला कुल 12.891 है0 नहरी व खाला रास्ता कृषि भूमि बतौर कलेमेंट आवंटित भूमि किश्तो के अभाव मे आवंटन खारिज होने के प्रकरण मे न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश श्रीगंगानगर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.04.1990 के द्वारा प्रकरण जिला पुनर्वास अधिकारी श्रीगंगानगर को निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया गया। परन्तु भारत सरकार द्वारा विस्थापित व्यक्ति दावा एवं अन्य अधिनियम निरसन अधिनियम 2005 दिनांक 06.09.2005 को अधिसूचित करते हुए विस्थापित व्यक्ति (क्षतिपूर्ति एवं पुनर्वास) अधिनियम 1954 को निरसित किया जाकर मंत्रीमण्डल के की आज्ञा संख्या 69/2008 दिनांक 22.05.2008 द्वारा पुनर्वास विभाग को समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया था इस संबंध मे राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 06.10.2009 मे निरसित केन्द्रीय अधिनियमों एवं सुसंगत राज्य विधियों के अन्तर्गत बकाया कार्यो के निस्तारण हेतु निर्देश जारी किये गये है। उक्त वर्णित अनुसार निष्क्रान्त (कस्टोडियन) कृषि भूमि से संबंधित

Web Copy - Not Official

अधिनियम निरसित होने के कारण राजस्थान भू–राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमि का स्थाई आवंटन) नियम 1963 एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ–1(15) राजस्व/पुनर्वास/2009 जयपुर दिनांक 06.10.09 के अनुसार कार्यवाही हेतु यह पत्रावली जिला कलक्टर हनुमानगढ़ द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा को अन्तरित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ–1(15)राजस्व/पुनर्वास/2009 जयपुर दिनांक 06.10.09 मे वर्णित प्रावधान ''ऐसे प्रकरण जिनमे निष्क्रान्त कृषि भूमि के आवंटी गैर खातेदारो को खातेदारी अधिकार प्रदत करना शेष है'' के संबंध मे कार्यवाही हेतु दिये गये प्रावधानो के अनुसार राशि जमा कराई जाकर बिना आवंटन सलाहकार समिति की सलाह के खातेदारी अधिकार अकेले हरदतसिंह को प्रदान किये गये, जिससे व्यथित होकर उपरोक्त दो अपीले प्रस्तुत की गई है। दोनो अपीले एक ही आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत होने एवं समान भूमि एवं समान पक्षकार होने के कारण उक्त दोनो अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

2. उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अपील सं. 235/2016 के अपीलाण्ट एवं अपील सं. 170/2017 के रेस्पो0 सं. 3, 9, 10, 12 से 15, 18 से 20 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी लिखित बहस मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि अकेले स्व. हरदतसिंह की क्लेम आवंटित होना मानकर उसके पक्ष मे नियमन आदेश दिये है। वस्तुतः यह क्लेम हरदतसिंह, गोविन्दसिंह, बलवंतसिंह व टिक्कासिंह पुत्रगण सुखासिंह के पक्ष मे सत्यापित हुआ था। यह क्लेम B/BP4/279 था। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखिय साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि श्री प्रेमप्रकाश अग्रवाल Land Claim Officer द्वारा चारो भाईयों के पक्ष मे दिनांक 12.11.1952 को यह Claim Verify किया था। यह Verified Claim श्री प्रेमनारायण अतिरिक्त सैटलमेंट कमीश्नर ने अपने आदेश दिनांक 13.09.62 के अन्तर्गत निरस्त कर दिया था। उक्त आदेश दिनांक 13.09.62 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत हुई तथा चीफ सैटलमेंट कमिश्नर ने अपने आदेश दिनांक 09.04.73 के अन्तर्गत उक्त आदेश दिनांक 13.09.62 को निरस्त कर मामला रिमाण्ड किया। यह प्रकरण रिमाण्ड होने के उपरांत चारो भाईयों के उक्त Verified Claim के संबंध मे कोई जांच नही हुई तथा मामला लम्बित रहा व इसी बीच मैनेजिंग ऑफिसर श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 05.03.75 के अन्तर्गत उक्त Verified Claim के अन्तर्गत आवंटित भूमि खारिज कर दी। इस आदेश दिनांक 05.03.75 के विरूद्ध Displaced Persons (Compernsation and Rehabilition)Act 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत हुई। यह अपील दिनांक 23.04.90 को स्वीकार हुई व मामला रिमाण्ड हुआ। मामला रिमाण्ड होने के उपरांत आज तक विचाराधीन रहा है तथा इसी बीच यह पत्रावली उपखण्ड अधिकारी पीलीगबंगा को अन्तरित हो गई। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त Verified Claim के संबंध मे कोई जांच नही कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया।

4. Displaced Persons (Compernsation and Rehabilition)Act 1954 के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन रहते उक्त अधिनियम सन् 1954 के निरसित हो जाने के बावजूद भी धारा 6 Genral Clauses Act के प्रावधानो के अनुसार निरसित कानून के अन्तर्गत ही कार्यवाही की जानी थी। अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेश पारित करने का अधिकार नही था। इस संबंध मे न्यायदृष्टांत डीएनजे 2008 (1) पेज 396 प्रस्तुत है। उक्त आवंटन खारिज होने के बाद 10400/– रू0 की राशि टिक्कासिंह व गोविन्द सिंह के द्वारा जमा करवाई गई है। यह भूमि पूर्व मे भगवानसर तहसील सूरतगढ़ मे आवंटित हुई थी तथा यह क्षेत्र रसियन फार्म द्वारा ले लिये जाने पर दिनांक 05.07.57 को सैटलमेंट कमिश्नर श्रीगंगानगर के समक्ष हरदतसिंह व टिक्कासिंह की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस प्रार्थना पत्र से

भी यह अंकित है कि यह भूमि अकेले हरदतसिंह को आवंटित नही हुई हैं स्व. हरदतसिंह के वारिसान का यह कथन कतई निराधार है कि यह भूमि कथित रूप से दिनांक 03.05.57 को अकेले हरदतसिंह को आवंटित हुई हो। हरदतसिंह के पक्ष मे हुये आवंटन आदेश मे भी Index No- B/BP4/279 का उल्लेख है। अतः यह नही माना जा सकता है कि Index No- B/BP4/279 मे अकेले हरदतसिंह के पक्ष मे Claim Verified हो बल्कि आदेश दिनांक 12.11.52 के जरिये यह क्लेम चारो भाईयों के पक्ष मे सत्यापित हुआ था। पश्चातवर्ती प्रक्रम पर यह क्लेम आदेश दिनांक 05.03.75 को खारिज हुआ था जो आदेश दिनांक 23.04.90 के अन्तर्गत अपील स्वीकार होने पर पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड हुआ था। रेस्पो0 ने हरदतसिंह का रिफ्यूजी प्रमाण पत्र दिनांक 04.12.52 प्रस्तुत करते हुए सिर्फ हरदतसिंह को ही पाकिस्तान से भारत आने का कथन किया है जबकि इसी दिनांक 04.12.52 का रिफ्यूजी प्रमाण पत्र टिक्कासिंह पुत्र हरदतसिंह के नाम भी जारी हुआ है जो आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत भूमि पर बलवंतसिंह के फौत होने के बाद तीनो भाई काबिज रहे है तथा उनके कब्जा के प्रमाणस्वरूप पत्रावली पर तहसीलदार भू–अभिलेख पीलीबंगा की रिपोर्ट दिनांक 04.08.93 उपलब्ध है। यदि यह भूमि अकेले हरदतसिंह को ही आवंटित होती तो तीनो भाईयों का कब्जा इस भूमि पर नही होता। रेस्पो0 ने अपीलांट के विरूद्ध न्यायालय सहायक जिलाधीश हनुमानगढ़ के समक्ष बेदखली का वादपत्र वाद सं. 93/96(188/99) शीर्ष मुकन्दसिंह बनाम गोविन्दसिंह आदि प्रस्तुत किया था इस वादपत्र मे रेस्पो0 गोविन्दसिंह की वल्दियत गलत रूप से सुखासिंह की वजाय सुन्दरसिंह अंकित कर दी तथा न्यायालय ने फर्द अहकाम दिनांक 27.07.96 के अन्तर्गत वादीगण की अनापति पर गोविन्दसिंह के पिता का नाम सुन्दरसिंह के स्थान पर सुखासिंह दर्ज करने के आदेश दिये थे। इन तथ्यों की रोशनी से भी यह साबित है कि प्रश्नगत भूमि अकेले हरदतसिंह को आवंटित न होकर सभी भाईयों की थी तथा सभी भाई इस भूमि पर काबिज थे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश राजस्थान भू–राजस्व (निष्क्रान्त भूमि के स्थाई आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत पारित किया है तथा इस आदेश के विरूद्ध अपील भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पोषनीय है। इस संबंध मे न्यायदृष्टांत आरआरडी 2006 पेज 558 प्रस्तुत है। अतः अपील 235/2016 स्वीकार की जाकर की जावें।

5. अपील सं. 170/2017 के अपीलाण्ट एवं अपील सं0 235/2016 के रेस्पो0 सं. 3 के राजकीय विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे कथन किया कि रेस्पो0 द्वारा नियमन करवाने हेतु आवेदन पत्र से संबंधित आवंटन आदेश अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया जिससे प्रश्नगत आराजी का नियमन नही किया जा सकता था इसी आधार पर अपीलीय आदेश काबिले खारिज है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत भूमि के कब्जा काश्त बाबत स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नही हुये थे जिससे भूमि का कब्जा किसका है यह पूर्णतया साबित नही हुआ था। एक तरफ तो रेस्पो0 सं. 1 व 2 प्रीतमसिंह व छिन्द्रो द्वारा अन्य रेस्पो0 द्वारा वादग्रस्त आराजी पर काबिज होने के तथ्य दर्ज किये गये है जिससे कब्जा काश्त बाबत सही स्थिति स्पष्ट नही हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया तथा ना ही रेस्पो0 का लगातारि कब्जा साबित है तथा ना ही मूल आवंटन पत्र प्रस्तुत किया गया है। राजकीय अभिभाषक द्वारा अन्त में अपनी अपील को विलम्ब को माफ कर मियाद में शुमार करने का निवेदन किया व कथन किया कि इस हेतु धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र अलग से विधि अनुसार प्रस्तुत किया हुआ है इसलिये अपील को विलम्ब को क्षमा दान कर अपील मियाद शुमार की जाकर, अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

6. अपील सं. 235/2016 व अपील सं. 170/2017 के रेस्पो0 सं. 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट मखनसिंह आदि ने अधीनस्थ न्यायालय व माननीय न्यायालय मे ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नही किया है जिससे यह साबित हो कि गोविन्दसिंह व टिक्कासिंह दोनो हरदतसिंह के भाई हो व गोविन्दसिंह व टिक्कासिंह को यह भूमि क्लेम मे प्राप्त हुई हो। प्रश्नगत भूमि कभी गोविन्दसिंह व टिक्कासिंह को क्लेम मे नही मिली है और न ही ये हरदत सिंह के भाई हैं प्रश्नगत भूमि रेस्पो0 पिता हरदतसिंह को बतौर क्लेम रिफ्यूजी के यह भूमि चक 33 एसटीजी हाल चक 19 पीबीएन मे प्राप्त हुई है। रिफ्यूजी प्रमाण पत्र बहक हरदतसिंह दिनांक 04.12.1952 पेश किया हुआ है। यह भूमि दिनांक 03.05.1951 को अकेले हरदतसिंह को अलॉटमेंट हुई है और बैसिक रजिस्टर मे भी यह भूमि अकेले हरदतसिंह के नाम आवंटन होना दर्ज है। आदेश दिनांक 07.07.75 असीसटैंट कमिश्नर क्लेम फार्म मे भी हरदतसिंह पुत्र सुखासिंह का नाम बतौर क्लेमेंट दर्ज है जो क्लेम ऑफिसर द्वारा जारी किया हुआ है। पर्चा खतौनी चक 31 एसटीजी मे हरदतसिंह का नाम दर्ज है। श्रीमान एसओ साहब के निर्णय दिनांक 03.05.57 को चक करनीसर का रकबा जो हरदतसिंह को आवंटन हुआ था उसको खारिज कर उसके बदले मे यह भूमि हरदतसिंह को दी गई है। पत्रावली मे प्रस्तुत समस्त दस्तावेजो से यह भूमि हरदतसिंह को बतौर क्लेम अकेले को प्राप्त हुई है और आवंटन आदेश भी उसके नाम जारी हुआ है। गोविन्दसिंह पुत्र सुन्दरसिंह को बतौर क्लेम चक 6 एसबीएम संगरिया मे 24 बीघा भूमि प्राप्त हुई है जिसकी सनद खातेदारी दिनांक 04.03.75 को प्राप्त हुई बैसिक रजिस्टर मे उक्त भूमि गोविन्दसिंह को दर्ज होना अंकित है। सुन्दरसिंह को तहसील पदमपुर के चक 67 एलएनपी मे भूमि प्राप्त हुई जो उनकी पत्नि लक्ष्मीबाई के नाम दर्ज है। लक्ष्मी बाई के फौत होने पर यह भूमि विरासतन उनके वारिस गुरनामसिंह आदि को प्राप्त हुई है। इससे यह साबित है कि गोविन्दसिंह व सुन्दरसिंह को अलग क्लेम मंजूर हुआ था और उनके नाम जो भूमि दर्ज हुई थी। अपीलांटस ने यह भूमि बेचकर अब कुछ वर्ष पूर्व रेस्पो0 की भूमि के कुछ भाग पर जबरन कब्जा कर लिया है। इससे इनको कोई अधिकार प्राप्त नही होता है। आवंटित भूमि पर यदि कोई व्यक्ति काबिज रहता है तो वह अतिक्रमी माना जायेगा। जिसके समर्थन मे 2010 (1) आरआरटी 157, 145 व 2009 आरआरडी पेज 99 है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीरे आरआरडी 2014 पेज 258 इस प्रकरण पर चस्पा नही होती है क्योंकि प्रश्नगत भूमि हरदतसिंह अकेले को प्राप्त हुई है। जबकि इस नजीर मे वर्णित भूमि प्रार्थीगण के पिता को प्राप्त हुई थी। इसलिये माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने यह निर्णय दिया है कि पिता की भूमि मे पुत्रों का बराबर हिस्सा होता है जबकि इस प्रकार मे ऐसा नही है। अपील सरकार बनाम प्रीतमसिंह जो जरिये तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा पेश की गई। इस अपीलाधीन निर्णय से अपीलांट कतई पीड़ित पक्षकार नही है और न ही उनको कोई नुकसान हो रहा है। अपील मे ऐसा कोई आधार नही है जिससे यह साबित हो कि अपीलांट ने अपील किस आधार पर पेश की है। इस अपील मे अपीलांट ने एक नियमन का आधार लिया है जबकि अपीलाधीन निर्णय नियमन का न होकर आवंटन बहाल का आदेश है। जिससे अपीलांट को कोई नुकसान नही हो रहा है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्टतः मियाद बाहर है। वरवक्त निर्णय अपीलांट उपस्थित था। अपीलांट द्वारा भी चालान जमा करवाना, सनद खातेदारी की पालना कर इंतकाल करना अन्य सभी कार्यवाही की गई है। इसलिये अपील अन्दर मियाद नही है। अतः अपील अपीलांट मय खर्चा खारिज फरमाई जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.09.16 को बहाल रखा जावें।

7. अपील सं. 235/2016 व अपील सं. 170/2017 के रेस्पो0 सं. 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रश्नगत भूमि हरदतसिंह पुत्र सुखासिंह के नाम आवंटित हुई क्लेम फार्म अकेले ही हरदतसिंह द्वारा भरा गया। क्लेम के निर्णय मे फार्म ऑफ अलॉटमेंट मेमोरेन्डम दिनांक 03.05.57 मे हरदतसिंह के नाम आवंटन आदेश 1957 व रिफ्यूजी प्रमाण पत्र दिनांक 04.12.1952 रीलिफ व रिहैबिलीटेशन डिपार्टमेंट द्वारा हरदतसिंह के नाम जारी किया गया। आदेश दिनांक 07.07.75 असीस्टेन्ड कमिश्नर क्लेम फार्म इन्डेक्स सं. डी/बीवीयू/29 मे नाम बतौर क्लेमेंट हरदतसिंह पुत्र सुखासिंह अकेले के नाम दर्ज है। प्रश्नगत भूमि किश्त के अभाव मे निरस्त होने के पश्चात इसकी बहाली हेतु हरदतसिंह ने ही कार्यवाही की थी। कायम आवंटन रजिस्टर मे भी अकेले हरदतसिंह का नाम है। सुखासिंह के पुत्र हरदतसिंह ही था। गोविन्दसिंह के पिता का नाम सुन्दरसिंह था व गोविन्द सिंह की माता का नाम लक्ष्मीबाई था। इस संबंध मे राशनकार्ड व लक्ष्मीबाई के नाम आवंटित कृषि भूमि के दस्तावेज प्रस्तुत किये हुये है। गोविन्दसिंह जो कि सुन्दरसिंह का पुत्र है मिथ्या रूप से सुखासिंह का पुत्र बताया जा रहा है। अपीलांट ने अपनी अपील मीमो की चरण सं. 1 मे गोविन्दसिंह के पुत्र मक्खनसिंह, निरंजनसिंह, सतनामसिंह, कश्मीरसिंह, प्यारासिंह, गुरनामसिंह दर्शाये है जो गोविन्दसिंह के राशनकार्ड मे भी गोविन्दसिंह के पुत्रो के नाम का मेल खाते है। इसके अलावा कृषि भूमि के दस्तावेज मे भी गोविन्दराम के पुत्रो का नाम मेल खाते है लेकिन उक्त तमाम दस्तावेज मे गोविन्दसिंह के पिता का नाम सुन्दरसिंह दर्ज है। गोविन्दसिंह को चक 6 एसबीएम संगरिया मे 24 बीघा भूमि आवंटित हुई एवं सुन्दरसिंह को चक 67 एलएनपी तहसील पदमपुर मे भूमि आवंटित हुई है जो उसकी पत्नि लक्ष्मीबाई के नाम दर्ज है। अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही कर पाये जिससे कि यह साबित हो कि गोविन्दसिंह व टिक्कासिंह सुखासिंह के वारिस हो। अपीलांट प्रश्नगत हरदतसिंह द्वारा राजस्व अभिलेख मे गलत रूप से अपने नाम होने के कथन कर रहे है जबकि हरदतसिंह के नाम उक्त भूमि आवंटन आदेश दिनांक 03.05.57 के जरिये है।

8. अतिरिक्त जिलाधीन एवं प्राधिकृत सैटलमेंट कमिश्नर श्रीगंगानगर ने अपने निर्णय दिनांक 23.04.90 मे यह विवेचना की है कि इस प्रकरण मे विवादित हेतु हरदतसिंह के साथ साथ गोविन्दसिंह, बलवंतसिंह, टिक्कासिंह पिसरान सुखासिंह अथवा उनके वारिसान दावेदार के रूप मे आये है, इस संबंध मे पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से स्थिति स्पष्ट नही होती, पत्रावली मे उपलब्ध फार्म दरख्वास्त, मुआवजा, अपेन्डिक्स, 7 एमओ के भूमि आवंटन आदेश व अपेडिन्डक्स इत्यादि मे केवल अपीलांट सिंह हरदतसिंह पुत्र सुखासिंह का नाम ही दर्ज है तथा उसके इन्डेंक्स सं. डी/बीवीयू/229 व एवं रजिस्ट्रेशन नं. आर/जी0एन0/3418 ( ) टीएलए दर्ज है तथा इसी क्लेम पर हरदतसिंह को 53.18 बीघा भूमि चक 31एसटीजी मे आवंटन हुई है। अपेन्डिक्स 7 जो पत्रावली मे उपलब्ध है। उसके अनुसार सीएएम के रजिस्ट्रेशन नं. आर/जीएन/3418, टीएलए एवं आरजीएन/4084, टीएलए श्री हरदतसिंह, गोविन्दसिंह, बलवंतसिंह, टिक्कासिह पिसरान सुखासिंह को उनके मूल 35 स्टेन्डर्ड एकड यूनिट के विरूद्ध 23 स्टेन्डर्ड एकड़ 1 17/32 यूनिट जो अलोटेड थी, से संबंधित पूरा क्लेम निरस्त दिया गया, सैटलमेंट अधिकारी ने यह भी विवेचना की कि इसके अलावा गोविन्दसिंह को ग्राम गुडिया के चक 6 एसबीएन तहसील संगरिया मे 24 बीघा भूमि आंवटन होना जाहिर होता है तथा उक्त प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि इन सब बिन्दूओ की गहराई से जांच कर नियमानुसार निपटारा करें। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय के समक्ष अपीलांट की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जिससे यह साबित होता कि सुखासिंह के चार पुत्र हो तथा गोविन्दसिंह, बलवंतसिंह, टिकासिंह

सुखासिंह के पुत्र हो, एक मात्र सरवरक की चित्रप्रति पर लिखे तथाकथित के आधार पर सुखासिंह के चार पुत्र होना व तथाकथित चारो पुत्रों को आवंटित होने के कथन किये जा रहे है जो विश्वास योग्य नही है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत डीएनजे राजस्थान पेज 396 उक्त निर्णय मे पारित आदेश दिनांक 25.10.07 का है जबकि राजस्थान सरकार राजस्व पूनर्वास विभाग परिपत्र क्रमांक एफ–1(15) पुनर्वास/2009 जयपुर दिनांक 06.01.2009 का है जो कि निष्क्रान्त भूमि से संबंधित प्रकरणों मे निस्तारण बाबत वर्तमान मे प्रभावी है। अतः अपील अपीलांटस सारहीन होने के कारण खारिज की जावें।

9. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाकर उपरोक्त दोनो अपीले अंदर मियाद शुमार की जाती है।

10. हस्तगत प्रकरण मे रेस्पो0 सं. 1 व 2 प्रीतमसिंह के पक्ष मे चक 19 पीबीएन–ए के प.न. 13/330 कि.न. 6 ता 10, 13, 14, 17, 18, 23, 24 मे 2.189 है0 व प.न. 12/330 कि.न. 6 ता 24 की 4.681 है0 व प.न. 12/331 कि.न. 1 ता 4, 6 ता 18, 22 ता 24 की 5.502 है0 व प.न. 13/331 कि.न. 3, 4, 11, 12 की 0.519 है0 कुल 12.236 है0 नहरी मय 0.367 है0 रास्ता मय 0.288 है0 खाला कुल 12.891 है0 नहरी व खाला रास्ता कृषि भूमि हरदतसिंह को बतौर क्लेमेंट आवंटन बहाल किया गया तथा इसभूमि के आवंटन बाबत बकाया राशि 10,000/–रू0 व राजस्थान सरकार राजस्व (पुनर्वास) विभाग के परिपत्र निष्क्रान्त सम्पति बाबत क्रमांक एफ/1/15/राजस्व/पुनर्वास/2009 जयपुर दिनांक 06.10.09 के तहत गैर खातेदारी आवंटित व्यक्तियों को खातेदारी हेतु 150/–रू0 प्रति स्टेन्डर्ड एकड़ के हिसाब से 4800/–रू0 एक मुश्त राशि जमा करवाने पर सनद खातेदारी रेस्पो0 सं. 1 व 2 के नाम बहिस्सा बराबर जारी किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

11. अपीलांटस मखनसिंह सिंह आदि का तर्क है कि ''अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि अकेले स्व. हरदतसिंह की क्लेम आवंटित होना मानकर उसके पक्ष मे नियमन आदेश दिये है। वस्तुतः यह क्लेम हरदतसिंह, गोविन्दसिंह, बलवंतसिंह व टिक्कासिंह पुत्रगण सुखासिंह के पक्ष मे सत्यापित हुआ था। यह क्लेम B/BP4/279 था। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखिय साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि श्री प्रेमप्रकाश अग्रवाल Land Claim Officer द्वारा चारो भाईयों के पक्ष मे दिनांक 12.11.1952 को यह Claim Verify किया था। यह Verified Claim श्री प्रेमनारायण अतिरिक्त सैटलमेंट कमीश्नर ने अपने आदेश दिनांक 13.09.62 के अन्तर्गत निरस्त कर दिया था। उक्त आदेश दिनांक 13.09.62 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत हुई तथा चीफ सैटलमेंट कमिश्नर ने अपने आदेश दिनांक 09.04.73 के अन्तर्गत उक्त आदेश दिनांक 13.09.62 को निरस्त कर मामला रिमाण्ड किया। यह प्रकरण रिमाण्ड होने के उपरांत चारो भाईयों के उक्त Verified Claim के संबंध मे कोई जांच नही हुई तथा मामला लम्बित रहा व इसी बीच मैनेजिंग ऑफिसर श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 05.03.75 के अन्तर्गत उक्त Verified Claim के अन्तर्गत आवंटित भूमि खारिज कर दी। इस आदेश दिनांक 05.03.75 के विरूद्ध Displaced Persons (Compernsation and Rehabilition)Act 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत हुई। यह अपील दिनांक 23.04.90 को स्वीकार हुई व मामला रिमाण्ड हुआ। मामला रिमाण्ड होने के उपरांत आज तक विचाराधीन रहा है तथा इसी बीच यह पत्रावली उपखण्ड अधिकारी पीलीगबंगा को अन्तरित हो गई। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त Verified Claim के संबंध मे कोई जांच नही कर अपीलाधीन आदेश पारित कर वादग्रस्त भूमि अकेले हरदतसिंह को बतौर क्लेमेंट रकबा बहाल किया गया।''

12. अपीलांटस कथनो के खण्डन मे रेस्पो0 सं. 1 व 2 का तर्क है कि ''अपीलांट मखनसिंह आदि ने अधीनस्थ न्यायालय व माननीय न्यायालय मे ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नही

किया है जिससे यह साबित हो कि गोविन्दसिंह व टिक्कासिंह दोनो हरदतसिंह के भाई हो व गोविन्दसिंह व टिक्कासिंह को यह भूमि क्लेम मे प्राप्त हुई हो। प्रश्नगत भूमि कभी गोविन्दसिंह व टिक्कासिंह को क्लेम मे नही मिली है और न ही ये हरदत सिंह के भाई हैं प्रश्नगत भूमि रेस्पो0 पिता हरदतसिंह को बतौर क्लेम रिफ्यूजी के यह भूमि चक 33 एसटीजी हाल चक 19 पीबीएन मे प्राप्त हुई है। रिफ्यूजी प्रमाण पत्र बहक हरदतसिंह दिनांक 04.12.1952 पेश किया हुआ है। यह भूमि दिनांक 03.05.1951 को अकेले हरदतसिंह को अलॉटमेंट हुई है और बैसिक रजिस्टर मे भी यह भूमि अकेले हरदतसिंह के नाम आवंटन होना दर्ज है। आदेश दिनांक 07.07.75 असीसटैंट कमिश्नर क्लेम फार्म मे भी हरदतसिंह पुत्र सुखासिंह का नाम बतौर क्लेमेंट दर्ज है जो क्लेम ऑफिसर द्वारा जारी किया हुआ है। पर्चा खतौनी चक 31 एसटीजी मे हरदतसिंह का नाम दर्ज है। श्रीमान एसओ साहब के निर्णय दिनांक 03.05.57 को चक करनीसर का रकबा जो हरदतसिंह को आवंटन हुआ था उसको खारिज कर उसके बदले मे यह भूमि हरदतसिंह को दी गई है। पत्रावली मे प्रस्तुत समस्त दस्तावेजो से यह भूमि हरदतसिंह को बतौर क्लेम अकेले को प्राप्त हुई है और आवंटन आदेश भी उसके नाम जारी हुआ है। गोविन्दसिंह पुत्र सुन्दरसिंह को बतौर क्लेम चक 6 एसबीएम संगरिया मे 24 बीघा भूमि प्राप्त हुई है जिसकी सनद खातेदारी दिनांक 04.03.75 को प्राप्त हुई बैसिक रजिस्टर मे उक्त भूमि गोविन्दसिंह को दर्ज होना अंकित है। सुन्दरसिंह को तहसील पदमपुर के चक 67 एलएनपी मे भूमि प्राप्त हुई जो उनकी पत्नि लक्ष्मीबाई के नाम दर्ज है। लक्ष्मी बाई के फौत होने पर यह भूमि विरासतन उनके वारिस गुरनामसिंह आदि को प्राप्त हुई है। इससे यह साबित है कि गोविन्दसिंह व सुन्दरसिंह को अलग क्लेम मंजूर हुआ था और उनके नाम जो भूमि दर्ज हुई थी। अपीलांटस ने यह भूमि बेचकर अब कुछ वर्ष पूर्व रेस्पो0 की भूमि के कुछ भाग पर जबरन कब्जा कर लिया है।''

13. अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावलियों का अवलोकन करने एवं अभिभाषकगण उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 प्रीतमसिंह आदि का तर्क है कि वादग्रस्त रकबा हरदतसिंह अकेले को दिनांक 03.05.57 को आवंटन हो चुका था परन्तु रेस्पो0 सं. 1 व 2 द्वारा दिनांक 03.05.57 के आवंटन आदेश के अलावा आवंटन से संबंधित आवेदन आदि एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये है जिससे यह साबित हो सके दिनांक 03.05.57 को आवंटन किस आधार पर हुआ। फिर भी अगर यह मान भी लिया जावे कि हरदतसिंह को वादग्रस्त रकबे का आवंटन दिनांक 03.05.57 को हो चुका था तो उसी रकबा के पूर्व मे हुए आवंटन दिनांक 12.11.52 को बहाल करने हेतु हरदतसिंह द्वारा किस कारण से निरन्तर अपील आदि की कार्यवाही विभिन्न स्तर पर की जा रही थी, इसका कारण रेस्पोडेंट अभिभाषक द्वारा नही बताया गया है जिससे दिनांक 03.05.57 को वादग्रस्त भूमि का आवंटन अकेले हरदतसिंह को होने का तथ्य प्रमाणित नही होने के कारण माने जाने योग्य नही है।

14. न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश एवं प्राधिकृत सैटलमेंट कमिश्नर श्रीगंगानगर द्वारा जरिये निर्णय दिनांक 23.04.1990 प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि आवंटन अकेले हरदतसिंह को होने या चारो भाईयों को होने तथा राशि जमा संबंधी तथ्यों की गहराई से जांच करते हुए आवंटन बहाल करने के संबंध मे पुनः निर्णय पारित किया जावें परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्देशो की पालना मे युक्तियुक्त एवं संतोषजनक प्रकार से जांच किया जाना नही पाया जाता है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहुत ही सरसरी तौर पर रेस्पो0 हरदतसिंह के वारिसान द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर यथावत विश्वास करते हुए आदेश पारित कर अकेले हरदतसिंह को खातेदारी अधिकार प्रदान किये है। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश एवं प्राधिकृत सैटलमेंट कमिश्नर

श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 23.04.1990 मे अंकित किया गया कि हरदतसिंह के साथ साथ गोविन्दसिंह, बलवंतसिंह व टिक्कासिंह को रकबा अलॉट हुआ था जो पूरा क्लेम ही निरस्त कर दिया इसमे चारो के नाम अंकित है। इसके अलावा क्लेम Index No- B/BP4/279 दिनांक 12.11.52 मे हरतदसिंह, गोविन्दसिंह, बलवंतसिंह व टिक्कासिंह चारो का नाम अंकित है तथा पुनर्वास विभाग के आदेश दिनांक 22.11.67 मे भी चारो के नाम अंकित है। 2EXTRACT OF APPENDIX VII ADJUSTMENT OF LAND ALLOTMENT के अनुसार दिनांक 31.07.67 को अमरपुरा राठान मे हरदतसिंह, गोविन्दसिंह, बलवंतसिंह व टिक्कासिंह चारो का अलॉटमेंट निरस्त हुआ तथा दिनांक 07.03.75 को भी हरदतसिंह, गोविन्दसिंह, बलवंतसिंह व टिक्कासिंह चारो का आवंटन किश्तो के अभाव मे निरस्त हुआ।

15. उक्त वर्णित विवेचन/दस्तावेजो के अनुसार यह सिद्ध होता है कि वादग्रस्त रकबा हरदतसिंह, गोविन्दसिंह, बलवंतसिंह व टिक्कासिंह पिसरान सुखासिंह चारो के नाम अलॉट हुआ और चारो के नाम से ही आवंटन निरस्त हुआ था। कालान्तर मे आवंटन आदेश मे अंकित बलवंतसिंह पुत्र सुखासिंह अविवाहित लाऔलाद फौत हो गया है तथा गोविन्दसिंह जिसको अपीलांट सुखासिंह का पुत्र होने का दावा करते है परन्तु रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत गुडिया द्वारा जारी राशनकार्ड के अनुसार गोविन्दसिंह के पिता का नाम सुन्दरसिंह अंकित है तथा गोविन्दसिंह के वारिसान अपीलांट मखनसिंह आदि दर्शाये गये है जिससे यह साबित होता है कि जो वारिसान गोविन्दसिंह पुत्र सुखासिंह के वारिसान के रूप मे संयोजित है वही वारिसान उक्त राशनकार्ड मे गोविन्दसिंह पुत्र सुन्दरसिंह के वारिसान के रूप मे अंकित है। रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार उक्त गोविन्दसिंह पुत्र सुन्दरसिंह को बतौर क्लेम चक 6 एसबीएम तहसील संगरिया मे 24 बीघा भूमि आवंटित हुई तथा गोविन्दसिंह के पिता सुन्दरसिंह को तहसील पदमपुर के चक 67 एलएनपी मे रकबा आवंटन हुआ जो सुन्दरसिंह की पत्नि लक्ष्मीबाई के नाम दर्ज थी जो लक्ष्मीबाई के फौत होने पर यह रकबा विरासतन उनके वारिस गुरनामसिंह वगैरा को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के आवंटन आदेश दिनांक 12.11.52 में अंकित गोविन्दसिंह पुत्र सुखासिंह का इन्द्राज संदेहास्पद होने के कारण गोविन्दसिंह के पक्ष मे आवंटन बहाली की कार्यवाही किया जाना उचित नही है, क्योंकि गोविन्दसिंह पुत्र सुन्दरसिंह एवं उसके परिवार को उक्त वर्णित अनुसार भूमि का आवंटन हो चुका है इसलिये वादग्रस्त रकबे मे गोविन्दसिंह का अधिकार पूर्ण रूप से प्रमाणित नही होता है। पत्रावली मे उपलब्ध वादग्रस्त भूमि पर कब्जे संबंधी पटवारी/तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 06.08.1993 के अनुसार हरदतसिंह के वारिसान के अलावा कालासिंह वगैरा पिसरान टीकासिंह का भी कब्जा चक 19 पीबीएन–ए प.न. 12/331 कि.न. 1/0.203, 2/0.228, 9/0.253, 10, 11/0.456, 12/0.253, 19, 20/0.456, 21, 22/0.506, 23/0.240 भूमि पर होना अंकित है। जिससे यह माना जा सकता है कि आवंटन आदेश दिनांक 12.11.1952 के आधार पर टीकासिंह पुत्र सुखासिंह के वारिसान का कब्जा निरन्तर है, उक्त आंवटन को पुनः वैद्य करते समय टीकासिंह के वारिसान के कब्जे की सीमा तक टीकासिंह के उत्तराधिकारीगण के पक्ष मे आवंटन पुनः वैद्य किया जाकर खातेदारी दिया जाना न्यायसंगत था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मे वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि हरदतसिंह के वारिसान खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है जो पुष्टि योग्य नही होने के कारण संशोधित किया जाना अपेक्षित है।

16. चूंकि भारत सरकार द्वारा विस्थापित व्यक्ति दावा एवं अन्य अधिनियम निरसन अधिनियम 2005 दिनांक 06.09.2005 को अधिसूचित करते हुए विस्थापित व्यक्ति (क्षतिपूर्ति एवं पुनर्वास) अधिनियम 1954 को निरसित किया जाकर मंत्रीमण्डल के की आज्ञा संख्या 69/2008 दिनांक 22.05.2008 द्वारा पुनर्वास विभाग को समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया था

इस संबंध मे राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 06.10.2009 मे निरसित केन्द्रीय अधिनियमों एवं सुसंगत राज्य विधियों के अन्तर्गत बकाया कार्यो के निस्तारण हेतु निर्देश जारी किये गये है। हस्तगत प्रकरण मे न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश एवं प्राधिकृत सैटलमेंट कमिश्नर श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 23.04.1990 के द्वारा प्रकरण जिला पुनर्वास अधिकारी श्रीगंगानगर को निर्देशो के साथ पुनः निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था। उक्त वर्णित अनुसार निष्क्रान्त (कस्टोडियन) कृषि भूमि से संबंधित अधिनियम निरसित होने के कारण राजस्थान भू–राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमि का स्थाई आवंटन) नियम 1963 एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ–1(15)राजस्व/पुनर्वास/2009 जयपुर दिनांक 06.10.09 के अनुसार कार्यवाही हेतु यह पत्रावली जिला कलक्टर हनुमानगढ़ द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा को अन्तरित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ–1(15)राजस्व/पुनर्वास/2009 जयपुर दिनांक 06.10.09 मे वर्णित प्रावधान ''ऐसे प्रकरण जिनमे निष्क्रान्त कृषि भूमि के आवंटी गैर खातेदारो को खातेदारी अधिकार प्रदत करना शेष है'' के संबंध मे कार्यवाही हेतु दिये गये प्रावधानो के अनुसार राशि जमा कराई जाकर बिना आवंटन सलाहकार समिति की सलाह के खातेदारी अधिकार अकेले हरदतसिंह को प्रदान किये गये जबकि यह प्रकरण गैर खातेदारी से खातेदारी प्रदान किये जाने का नही होकर निरस्त किये गये आवंटन की पुनः वैद्य (Revalidate) करने से संबंधित था इसके लिए उक्त परिपत्र दिनांक 06.10.09 मे निम्नानुसार शीर्षक से निर्देश दिये गये है ''ऐसे प्रकरण जिनमे निर्धारित समय पर किश्ते जमा नही कराने के कारण भूमि को पुनर्गहित (Resume) कर लिया है किन्तु कब्जा नही लिया गया है'' आवंटन को पुनः वैद्य घोषित किये जाने संबंधी प्रावधानो के अनुसार राजस्थान भू–राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमि का स्थाई आवंटन) नियम 1963 के नियम 5ए के उप नियम 2 के अनुसार यदि आवंटी निर्धारित किश्ते समय पर जमा कराने मे असफल रहा हो और उसके विरूद्ध विस्थापित व्यक्ति (क्षतिपूर्ति एवं पुनर्वास) अधिनियम 1954 की धारा 19(2) सपठित नियम 102 के तहत कार्यवाही करके समक्ष प्राधिकारी द्वारा भूमि को पुर्नगृहित कर लिया हो किन्तु कब्जा नही लिया गया हो तो उपखण्ड अधिकारी आवंटन सलाहकार समिति से सलाह करके आवंटन को पुनः वैद्य घोषित कर सकता है इस नियम 5ए(2) मे दिनांक 05.12.2011 को संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया गया कि यदि आवंटी आवंटित भूमि के पेटे सम्पूर्ण बकाया राशि के अतिरिक्त सिंचित भूमि के लिए 2000/–रू0 प्रतिबीघा शास्ति की राशि जमा करवाने हेतु सहमत हो तो आवंटन को पुनः वैद्य घोषित किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय को आवंटन पुनः वैद्य की कार्यवाही राजस्थान भू–राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमि का स्थाई आवंटन) नियम 1963 के नियम 5ए के उप नियम 2 के अन्तर्गत की जानी चाहिए थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुसंगत नियमो के अन्तर्गत कार्यवाही नही करते हुए गैर खातेदारी से खातेदारी का प्रकरण मानते हुए तद्नुसार राशि जमा करवाई जाकर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। ऐसी स्थिति मे हस्तगत प्रकरण के संबंध मे कार्यवाही हेतु वर्तमान मे प्रभावी एवं प्रचलित विधि एवं नियमों के परिपेक्ष मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.09.2016 को संशोधित किया जाना अपेक्षित एवं न्यायोचित है।

17. उक्त विवेचन के अनुसार उक्त दोनो अपीले आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.09.2016 को इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि पटवारी हल्का अमरपुरा राठान की रिपोर्ट दिनांक 03.08.1993 मे वर्णित कब्जा काश्त की रिपोर्ट के मुताबिक टीकासिंह के उत्तराधिकारीगण को चक 19 पीबीएन–ए प.न.

12/331 कि.न. 1/0.203, 2/0.228, 9/0.253, 10, 11/0.456, 12/0.253, 19, 20/0.456, 21, 22/0.506, 23/0.240 रकबा की सीमा तक आवंटन पुनः वैद्य किया जाकर चक 19 पीबीएन–ए मे वादग्रस्त भूमि के शेष रकबे पर हरदतसिंह के उत्तराधिकारीगण के पक्ष मे आवंटन पुनः वैद्य किया जाकर खातेदारी की कार्यवाही राजस्थान भू–राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमि का स्थाई आवंटन) नियम 1963 के नियम 5ए के उप नियम 2 के प्रावधानो के अनुसार पूर्व मे जमा करवाई गई राशि (10,000+4800=14,800) को समायोजित करते हुए आवंटित भूमि के पेटे सम्पूर्ण बकाया राशि एवं 2000/–रू0 प्रतिबीघा शास्ति के रूप मे टीकासिंह एवं हरदतसिंह के उत्तराधिकारीगण द्वारा पुनः वैद्य किये जाने वाले रकबे के अनुपात मे जमा करवाई जाने पर सनद/खातेदारी की अग्रिम कार्यवाही राजस्थान भू–राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमि का स्थाई आवंटन) नियम 1963 के नियम 5ए के उप नियम 2 के प्रावधानो के अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। दोनो पत्रावलियों मे निर्णय की प्रति पृथक पृथक रखी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीना आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official